पत्रांकः– वन भूमि–90 / 2020..... / प०व०ज०प०

# बिहार सरकार
## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

**प्रेषक,**

**मोख्तारूल हक,**
परामर्शी।

**सेवा में,**

**अपर महानिदेशक (केन्द्रीय),**
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,**
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

**पटना–15, दिनांक.....**

**विषय** :– सीवान एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत NH-101 खोरीपाकर–महम्मदपुर (45.00–65.140 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सृढ़ढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.098 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव "कार्यपालक अभियांता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा" द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या–190(ई०) दिनांक–16.02.1994 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

विषयांकित परियोजना में 14.098 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–202 दिनांक–19.02.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये Tree Protection Plan के अनुसार परियोजना निर्माण के क्रम में 38 वृक्षों को परियोजना स्थल पर सुरक्षित बचाया जायेगा, परियोजना निर्माण के क्रम में 40 वृक्षों को पुनर्स्थापित कर बचाये जाने का प्रस्ताव है एवं 2 वृक्षों संवर्द्धन विज्ञानी (Arborist) से सम्पर्क कर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की गयी है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं किया गया है।

प्रासंगिक पत्र में अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, सीवान एवं गोपालगंज द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल– 14.098 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 28.196 हे0 अर्थात 29.00 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, रोहतास के सासाराम प्रक्षेत्र अन्तर्गत घरबैर PF को चिन्हित करते हुए कुल–74,00000 / – (चौहत्तर लाख रूपये) मात्र के राशि का वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त है, जो संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव का क्रमशः पार्ट–1, पार्ट–2, वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन, टोपो सीट एवं NPV Under Taking प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 14.098 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 88,25,348/–(अठासी लाख पचीस हजार तीन सौ अड़तालीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 14.098 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडलन्तर्गत 29.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि घरबैर सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 74,00,000/–(चौहत्तर लाख रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंस द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी

**ज्ञापांक** :– वन भूमि–90/2020................../ प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..........................................

**प्रतिलिपि** :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/ कार्यपालक अभियांता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी

**ज्ञापांक** :– वन भूमि–90/2020 1196(ई)/ प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 05/10/2020

**प्रतिलिपि** :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

5/10/2020
**(मोख्तारूल हक)**
परामर्शी